

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल-462004

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

क्रमांक एफ 02-27/2001/सत्ताईस-एक-इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.04.2012 द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में डॉ० अनिल ठाकरे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को सदस्य (न्यायिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गयी ।

डॉ० अनिल ठाकरे, सदस्य (न्यायिक) की उक्त संविदा नियुक्ति अवधि में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.05.2013 एवं 30.05.2014 द्वारा एक-एक वर्ष की वृद्धि की गयी है ।

राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ० अनिल ठाकरे, सदस्य (न्यायिक) की संविदा नियुक्ति अवधि में पुनः दिनांक 04.04.2015 से पूर्व निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष की वृद्धि करता है ।

2/- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.04.2012 द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में श्री एस०के०राउत, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक को सदस्य (प्रशासनिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गयी ।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.04.2013 द्वारा श्री एस०के०राउत, सदस्य (प्रशासनिक) की संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 15.05.2013 से दिनांक 14.05.2014 तक की वृद्धि की गयी है ।

राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एस०के०राउत, सदस्य (प्रशासनिक) के उक्त संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 14.05.2015 से पूर्व निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष की वृद्धि करता है ।

3/- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.04.2012 द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में श्री यू०सी०जैन, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को सदस्य (न्यायिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गयी ।

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.04.2013 द्वारा श्री यू०सी०जैन की उक्त संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 05.04.2013 से दिनांक 04.04.2014 तक एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2014 द्वारा दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 04.04.2015 तक की वृद्धि की गयी है ।

राज्य शासन एतद् द्वारा श्री यू0सी0जैन सदस्य (न्यायिक) की उक्त संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 04.04.2015 से पूर्व निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष की वृद्धि करता है।

4/- विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2013 द्वारा श्री राजकुमार पाठक (से0नि0भा0प्र0से0) को शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु सदस्य (प्रशासनिक) के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गयी एवं विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2014 द्वारा इस संविदा नियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गयी है।

राज्य शासन एतद् द्वारा श्री राजकुमार पाठक की उक्त संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 05.05.2015 से पूर्व निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष की वृद्धि करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

615715
(लक्ष्मीकान्त दिववेदी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

पृ0 क्रमांक एफ 02-27/2001/सत्ताईस-एक,
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल) परियोजनाएं, भोपाल।
2. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
3. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
4. कार्यपालक निदेशक, एन0एच0डी0सी0भोपाल।
5. महालेखाकार मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
6. सचिव, मान0मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मध्य प्रदेश, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
8. सचिव, शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, भोपाल।
9. संचालक (पुनर्वास/फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर।
10. संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
11. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
12. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया उक्त आदेश को वेबसाईड पर दर्ज करने का कष्ट करें।